A — शिक्षा एवं प्रशिक्षण

जिला शिक्षा कार्यालय (जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) / खंड शिक्षा अधिकारी (BEO))

यह संस्थान क्या है

जिला शिक्षा कार्यालय (DEO) और खंड शिक्षा कार्यालय (BEO) किसी जिले में स्कूली शिक्षा का प्रशासनिक आधार हैं। ये विद्यालय नहीं हैं — ये सरकारी कार्यालय हैं जो विद्यालयों का प्रबंधन करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जिले में शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी है, जो योजना क्रियान्वयन, निधि वितरण, शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय निरीक्षण, और छात्रवृत्ति प्रसंस्करण के लिए उत्तरदायी है। खंड शिक्षा अधिकारी एक ही खंड को संभालता है और विद्यालयों के सबसे निकट का अग्रिम पंक्ति प्रशासक है। एक युवा के लिए ये कार्यालय इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहीं छात्रवृत्ति सत्यापन होते हैं, ड्रॉपआउट डेटा पर नज़र रखी जाती है, और आपके विद्यालय के संसाधनों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आपका छात्रवृत्ति आवेदन अटका है, यदि आपके विद्यालय में शिक्षक नहीं है, या यदि आपको स्थानांतरण प्रमाण-पत्र संसाधित कराना है, तो जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय वह स्थान है जहाँ निर्णय लिया जाता है। विद्यालयों के बारे में शिकायतें भी यहीं दर्ज होती हैं।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009	खंड शिक्षा अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करते हैं — छात्र-शिक्षक अनुपात, अवसंरचना, प्रवेश से इनकार न होना
समग्र शिक्षा अभियान	जिला शिक्षा अधिकारी जिला-स्तरीय कार्यान्वयन इकाई हैं; खंड शिक्षा अधिकारी खंड-स्तरीय निष्पादन संभालते हैं
राज्य शिक्षा अधिनियम एवं नियम	राज्य-विशिष्ट अधिकारी शक्तियाँ, निरीक्षण कर्तव्य, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ

- **केंद्र:** शिक्षा मंत्रालय (MoE / DoSEL — स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) → समग्र शिक्षा वित्त-पोषण
- **राज्य:** राज्य शिक्षा विभाग → राज्य शिक्षा निदेशालय
- **जिला:** जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र के अंतर्गत जिला परियोजना अधिकारी / DPO भी कहलाते हैं) — राज्य-विशिष्ट पदनामों में बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA, UP में प्राथमिक एवं उच्च-प्राथमिक शिक्षा), जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS, UP में माध्यमिक शिक्षा), जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (DEEO, जैसे असम, तमिलनाडु — अलग प्रारंभिक निदेशालय) शामिल हैं
- **खंड / संकुल:** खंड शिक्षा अधिकारी, जिनकी सहायता खंड संसाधन केंद्र (Block Resource Centres — BRCs) करते हैं, जिनके प्रमुख खंड संसाधन केंद्र समन्वयक (Block Resource Centre Coordinators — BRCCs) होते हैं, और संकुल संसाधन केंद्र (Cluster Resource Centres — CRCs), जिनके प्रमुख संकुल संसाधन केंद्र समन्वयक (Cluster Resource Centre Coordinators — CRCCs) होते हैं; खंड संसाधन केंद्र (BRC) / संकुल संसाधन केंद्र (CRC) के स्टाफ को खंड/संकुल संसाधन व्यक्ति (BRP/CRP) के रूप में नामित किया जाता है। राज्य संस्करणों में सहायक खंड संसाधन समन्वयक (ABRC, जैसे हरियाणा) और शैक्षणिक संसाधन व्यक्ति (ARP, जैसे UP) शामिल हैं। NEP 2020 के बाद समग्र शिक्षा के अंतर्गत खंड स्तर पर करियर परामर्श के लिए एक अलग ARP की शुरुआत की गई; कुछ राज्यों में (जैसे हरियाणा) खंड/संकुल संसाधन व्यक्तियों को राज्य नीति के तहत संविदा पर भर्ती किया जाता है, अन्यों में सेवारत शिक्षकों को रोटेशन या प्रतिनियुक्ति पर नामित किया जाता है (केंद्रीय समग्र ARP दिशानिर्देश केवल एक वर्ष की न्यूनतम अवधि निर्धारित करता है)
- **वित्त-पोषण:** कार्यालय की लागत राज्य द्वारा वित्त-पोषित है; योजना निधियाँ समग्र शिक्षा के माध्यम से प्रवाहित होती हैं (60:40)

प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
जिला शिक्षा अधिकारी / बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला विद्यालय निरीक्षक	जिले के लिए शिक्षा प्रमुख; नीति क्रियान्वयन, निधि वितरण, शिक्षक स्थानांतरण
खंड शिक्षा अधिकारी	खंड-स्तर के प्रमुख; विद्यालय निरीक्षण, उपस्थिति निगरानी, छात्रवृत्ति प्रसंस्करण
उप-निरीक्षक, विद्यालय	विद्यालय निरीक्षण करते हैं, अवसंरचना सत्यापित करते हैं, शिक्षक उपस्थिति की जाँच करते हैं
छात्रवृत्ति लिपिक	छात्रवृत्ति आवेदनों को संसाधित कर राज्य स्तर तक अग्रेषित करते हैं
जिला परियोजना समन्वयक	समग्र शिक्षा निधि उपयोग का प्रबंधन करते हैं

अनिवार्य सेवाएँ

- विद्यालयों से प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदनों को प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) तथा राज्य-विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत संसाधित एवं अग्रेषित करना
- सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करना
- शिक्षक तैनाती, पदस्थापना, स्थानांतरण, और उपस्थिति निगरानी का प्रबंधन करना
- ड्रॉपआउट पर नज़र रखना और स्कूल-बाहर बच्चों के लिए पुनः-नामांकन अभियान संचालित करना
- एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) के वार्षिक डेटा संग्रह का जिले के सभी विद्यालयों से समन्वय करना
- विद्यालयों एवं KGBV (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय) को समग्र शिक्षा अनुदान वितरित करना
- माता-पिता, शिक्षकों, और सामुदायिक सदस्यों की शिकायतों को संभालना

संबंधित योजनाएँ

- **समग्र शिक्षा अभियान** — जिला शिक्षा अधिकारी जिला कार्यान्वयन इकाई हैं; खंड शिक्षा अधिकारी खंड-स्तरीय निष्पादन संभालते हैं
- **आरटीई अधिनियम** — खंड शिक्षा अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करते हैं; जिला शिक्षा अधिकारी निगरानी एवं रिपोर्टिंग करते हैं
- **प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) — National Scholarships Portal)** — आवेदनों का सत्यापन एवं अग्रेषण
- **NMMSS** — जिला शिक्षा अधिकारी चयन परीक्षा का समन्वय करते हैं और आवेदन अग्रेषित करते हैं
- **पीएम श्री (PM SHRI — प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइज़िंग इंडिया) विद्यालय** — जिला शिक्षा अधिकारी निर्दिष्ट विद्यालयों के लिए क्रियान्वयन का समन्वय करते हैं
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** — जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालय-स्तरीय गतिविधियों का समन्वय करते हैं
- **समझ के साथ पढ़ने एवं अंकगणित में दक्षता हेतु राष्ट्रीय पहल (NIPUN) भारत मिशन** — जिला शिक्षा अधिकारी जिला मिशन निदेशक (DMD) के रूप में कार्य करते हैं; जिले में बुनियादी साक्षरता एवं अंकगणित मिशन की योजना, क्रियान्वयन, और निगरानी के लिए उत्तरदायी
- **PM POSHAN (पूर्व मध्याह्न भोजन योजना)** — जिला स्तर पर राज्य-निर्दिष्ट नोडल एजेंसी द्वारा क्रियान्वित, सामान्यतः जिला कलेक्टर या CEO ज़िला परिषद; जिला शिक्षा अधिकारी जिले की विद्यालय पोषण उद्यान समिति के संयोजक हैं और सार्वजनिक सुनवाई की सूचना देते हैं; विद्यालय-स्तरीय क्रियान्वयन का क्षेत्र पर्यवेक्षण खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय प्रमुखों के माध्यम से होता है

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: राज्य शिक्षा विभाग की वेबसाइटें जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की निर्देशिकाएँ संपर्क विवरण के साथ प्रकाशित करती हैं; जिले की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre — NIC) वेबसाइट [districtname].nic.in पर भी देखें

इसके अलावा: जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय जिला मुख्यालय में होता है, अक्सर कलेक्ट्रेट के पास; खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय खंड मुख्यालय में होता है

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील जिला शिक्षा / खंड शिक्षा कार्यालय में होनी चाहिए: प्रवेश-द्वार पर नागरिक चार्टर, अधिकारियों के नाम, और शिकायत प्रक्रिया प्रदर्शित करने वाला सार्वजनिक सूचना बोर्ड; UDISE+ डेटा प्रविष्टि और छात्रवृत्ति पोर्टल एक्सेस के लिए इंटरनेट सहित कंप्यूटर; निरीक्षण रिपोर्ट और वित्तीय अभिलेखों के लिए सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष; एक दिखाई देने वाली शिकायत पेटी; और आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र।

एक क्रियाशील जिला शिक्षा / खंड शिक्षा कार्यालय कैसा दिखता है

- जिला शिक्षा अधिकारी / खंड शिक्षा अधिकारी कार्य-घंटों के दौरान कार्यालय में उपस्थित और आगंतुकों के लिए सुलभ हैं
- वर्तमान चक्र के छात्रवृत्ति आवेदन बिना बैकलॉग के संसाधित किए जा रहे हैं
- पिछली तिमाही की विद्यालय निरीक्षण रिपोर्टें फाइल पर हैं और एक-पंक्ति प्रविष्टि से अधिक विवरण के साथ हैं
- वर्तमान चक्र के लिए UDISE+ डेटा प्रस्तुत करना पूर्ण है
- वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए समग्र शिक्षा निधि उपयोग सही पथ पर है
- कार्यालय के प्रवेश-द्वार पर एक शिकायत तंत्र दिखाई देने वाले रूप में उपलब्ध है

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु खंड शिक्षा अधिकारी (खंड में) या जिला शिक्षा अधिकारी / जिला विद्यालय निरीक्षक (जिले में) हैं, जिनके कार्यालय में शिकायत उठी हो — सामान्यतः छात्रवृत्ति लिपिक, उप-निरीक्षक विद्यालय, या छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी।

सेवा के बाद। मामला जिला परियोजना समन्वयक (समग्र शिक्षा) तक और फिर राज्य शिक्षा निदेशालय तक बढ़ाया जाता है। जिला कलेक्टर के पास जिले के शिक्षा कार्यालयों पर प्रशासनिक प्राधिकार है।

बाहरी। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, pgportal.gov.in) केंद्रीय-मंत्रालय की शिकायतें संभालती है। राज्य शिक्षा पोर्टल विद्यालय-प्रणाली की शिकायतें स्वीकार करते हैं। छात्रवृत्ति-विशिष्ट शिकायतों के लिए, scholarships.gov.in पर एक समर्पित शिकायत-ट्रैकिंग मॉड्यूल है; राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल हेल्पलाइन 0120-6619540 है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) से खंड स्तर पर आरटीई क्रियान्वयन की विफलताओं के लिए संपर्क किया जा सकता है।